न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2015 निग. – 4124 – II/15

1. जगजाहिर सिंह पुत्र स्व. श्री जगबंधनसिंह
2. जगजीवन सिंह पुत्र स्व. श्री जगबंधनसिंह
3. पुखराज सिंह पुत्र स्व. श्री जगबंधनसिंह
4. मोहनलाल सिंह पुत्र स्व. श्री जगबंधनसिंह
   समस्त निवासीगण, ग्राम सुपेला तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)
5. कृष्ण कुमार सिंह उर्फ रजन सिंह पिता स्व. श्री जगबंधनसिंह, पति चन्द्रप्रकाश सिंह, निवासी खुटार तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)
6. सरोज देवी सिंह पिता स्व. श्री जगबंधनसिंह, पति दिनेश कुमार सिंह, निवासी अमराचूरी तसहील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)

-----आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव, अधि॰
द्वारा आज दि. 28.12.15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28.12.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. बृजराज सिंह पुत्र स्व. श्री जगबंधनसिंह
2. निरसुआ पुत्री स्व. श्री जगबंधनसिंह
   समस्त निवासीगण ग्राम नौढ़िया तहसील गोपदबनास, जिला सिधी (म.प्र.)
3. छोटेलाल सिंह पिता श्री अंशुमान सिंह
4. कलावती सिंह पत्नि स्व. श्री सबाई लाल सिंह
5. अवधराज सिंह पुत्र स्व. सबाई लाल सिंह
6. सर्वजीत सिंह पुत्र स्व. सबाई लाल सिंह
7. सुजीत सिंह पुत्र स्व. सबाई लाल सिंह
8. सुनील सिंह पुत्र स्व. सबाई लाल सिंह
   समस्त निवासीगण ग्राम नौढ़िया तहसील गोपदबनास, जिला सिधी (म.प्र.)
9. आदित्य प्रताप सिंह पिता शिवनाथ सिंह
10. सुन्दरी पत्नी विश्राम सिंह
11. बृजेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री विश्राम सिंह
12. नागेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री विश्राम सिंह
13. लाला सिंह पिता स्व. श्री विश्राम सिंह
    समस्त निवासीगण कमर्जी तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)
14. काशी सिंह पिता श्री ईश्वरी नारायण सिंह
15. मु. सरोजन सिंह पत्नी स्व. राजराखन सिंह
16. टीकू सिंह पिता स्व.राजराखन सिंह
17. कल्लो सिंह पिता स्व. राजराखन सिंह
18. राजबहादुर सिंह पिता स्वा. श्री राजराखन सिंह
    समस्त निवासीगण ग्राम नौढ़िया तहसील गोपदबनास, जिला सिधी (म.प्र.)

-----अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
28-12-2015

XXXIX(a)-BR(H)-11

[redacted]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R- 4124-II/15 ...... जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.02.16	मैंने आवेदक अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया। प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि निगरानीकारगण एवं गैरनिगरानीकारगण की माताएं क्रमशः गुजरतुआ एवं जेलबिया रहीं, और पिता (एक ही) जगबंधन रहे। वाद जगबंधन की मृत्यु-उपरान्त वारसाना नामान्तरण से संबंधित है, जिसके लिए दोनों पक्षों ने सजरे-खानदान पटवारी को ~~माध्यम~~ दिये। दोनों पक्षों द्वारा दिए गए सजरे अलग थे। पटवारी ने जो सजरा तहसीलदार को भेजा उसमें निगरानीकार पक्ष का लेख नहीं था। इसके फलस्वरूप हुए नामान्तरण के विरुद्ध निगरानीकार पक्ष ने SDO को अपील की। SDO ने प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया। SDO के आदेश के विरुद्ध गैरनिगरानीकार पक्ष अपर कलेक्टर के समक्ष गए, जिन्होंने SDO द्वारा विलम्ब माफी को उचित नहीं मानते हुए उनका आदेश निरस्त किया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी हुई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के सुसंगत अभिलेखों की प्रतियां आवेदक द्वारा साथ दी गई हैं। तर्कों और इन अभिलेखों के प्रकाश में मैं SDO द्वारा विलम्ब माफी की कार्यवाही को निगरानीकार पक्ष द्वारा प्रदत्त सजरे को विचार में लेकर नामान्तरण आदेश नहीं पारित होने से	

[कृ. प. उ.

R-5124-II/15 सिराटी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि[redacted] आदि के हस्ताक्षर
	संबंधित) कारणों, और न्याय के उद्देश्य को सिद्ध कराने के हित में, मैं उचित पाता हूँ। वैसे भी SDO द्वारा प्रत्यावर्तन उपरान्त अन्य पक्ष को तहसीलदार के समक्ष पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध था।) अतः मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि. 28-10-15 एतद्द्वारा अपास्त करता हूँ, और SDO का पूर्व आदेश दि. 16.2.05 यथावत रखते हुए, तहसीलदार गोपदबनास को उभयपक्ष को विधिवत सूचना और पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए और साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि कराते हुए, SDO के आदेशानुसार, प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करने का निर्देश देता हूँ। तहसीलदार का आदेश स्पष्ट एवं बोलते स्वरूप का हो। आदेश पारित। पक्षकार और तहसीलदार, गोपदबनास सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 8.2.16 (सदस्य)	Noted 11-2-16